

न्यायालय राजस्थान काठल, मध्य प्रदेश न्यायिक संसद

रामकृष्ण

एम०के०सिंह

अदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ११०५८-टो/२००४ - विरुद्ध आदेश
दिनांक १९-२-२००४ - पारित खारा अपर कलेक्टर पंजाब
प्रकरण क्रमांक १७/२००३-०४ स्वभेद निगरानी

प्रश्नोत्त प्रताप सिंह पुत्र बिजयप्रताप सिंह
ग्राम पड़िरेया कलो, तहसील पबई
जिला पंजाब म०प्र०

विरुद्ध

१- एम०प्र०६८८८८

२- उमिया पुत्र ख. कृपईया औड
ग्राम पड़िरेया कलो तहसील पबई
जिला पंजाब मध्य प्रदेश

(आदेश के अन्तर्गत श्री रामेन्द्र जैन)
(आदेश के अन्तर्गत लाल लाल जैन)

लाल दे श
(आज दिनांक २-४-२०१६ को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर पंजाब द्वारा प्रकरण क्रमांक
१७/२००३-०४ स्वभेद निगरानी में पारित आदेश दिनांक
१९-२-२००४ के विरुद्ध मध्य प्रदेश दूर राजस्व संहिता, १९५७ के
धारा ६० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण इम नारोंश यह है कि ग्राम पड़िरेया कलो विधान शभू
सर्व क्रमांक २५८१, २५८३, २५८४ कुल किला ३ कुल एकला ०.८५
हेक्टर (आगे जिसे वादग्राम भूमि लिखा गया है) आदेश के अन्तर्गत
कलोंक २ से पौजीकृत विकाय के आधार पर काय की तथा विकाय पर
पर से तहसील न्यायालय खारा ग्राम की बामान्तरण पंजी के सरल
कलोंक २० पर आदेश दिनांक २१-९-१९९९ से बामान्तरण कर दिया।

(म)

१५

अनुविभागीय अधिकारी पबई व्हारा कलेक्टर पन्जा को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 2-7-2003 प्रस्तुत किया गया कि प्राप्त शिकायत की जॉच में पाया गया है कि तहसीलदार पबई व्हारा प्रकरण क्रमांक 23/अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 27-6-1994 से दिये गये पटे की भूमि का विक्रय बिना सक्षम अनुमति के कृपईया गौड़ व्हारा किया गया है एंव विक्रय पत्र पर से नामान्तरण पंजी के क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से नामान्तरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर से कलेक्टर पन्जा ने स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध किया, वाद में यह प्रकरण अपर कलेक्टर पन्जा को हस्तांतरित होने पर प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वमेव निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक-2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 19-2-2004 पारित करके ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण निरस्त करके भूमि विकेता कृपईया गौड़ पुत्र बुधुआ गौड़ के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 के विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रिकार्ड भूमिस्वामी से क्य की गई है तथा मध्य प्रदेश भू राजरप संहिता 1959 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न होने से उप पंजीयक ने विक्रय पत्र पंजीबद्ध किया है तथा इन्हीं कारणों से एंव

(M)

4
५

विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने के कारण ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक २२ पर आदेश दिनांक २१-९-९९ क्रेता का विधिवत् नामान्तरण किया गया है जिस पर अतिविलम्ब से स्वभेद निगरानी दर्ज करके अपर कलेक्टर ने भूल की है क्योंकि स्वभेद निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम विलम्ब वावत् निर्णय लेना था। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

भ०प्र०शासन के पैनल लायर ने बताया कि अपर कलेक्टर एंव कलेक्टर की शक्तियों समान है। अनुविभागीय अधिकारी को अवैध विक्रय का एंव अवैध नामान्तरण का पता चला, उन्होंने जोन करके प्रतिवेदन दिया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है अपर कलेक्टर ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर भी दिया है। उन्होंने निगरानी निरस्त वावत् तर्क दिये।

५/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अचलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक क्रमांक-२ के पिता स्व. कृपाईया गौड़ ने शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर उसके नाम दर्ज ग्राम पड़ारिता कलौं स्थित भूमि सर्वे क्रमांक २५८१, २५८३, २५८४ कुल किता ३ कुल रक्षा ०.४५ हैक्टर को पैंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आवेदक के हित में विक्रय की है और विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता आवेदक का ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक २२ पर आदेश दिनांक २१-९-९९ नामान्तरण किया गया है। यह विक्रय पत्र नामान्तरण आदेश दिनांक २१-९-९९ के पूर्व का है तथा वादग्रस्त भूमि का पट्टा २७-६-१९९४ का होना अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक १९-२-२००४ में अंकित किया है तथा पट्टा भूमिस्वामी स्वत्व पर होने से तथा पट्टे की शर्तों का पालन करने के आधार पर

११-

शासकीय अभिलेख में स्व. कृष्णदया गौड़ का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित रहा है, क्योंकि खसरे में भूमि विक्रय से बर्जित अंकित नहीं थी जिसके कारण भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का उप पंजीयक ने विक्रय पत्र संपादित किया है उंव तहसील न्यायालय ब्दारा आदेश दिनांक 21-9-99 से नामान्तरण किया है। विचार योग्य यह है कि क्या ऐसा भूमिस्वामी संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों से प्रतिबन्धित है ?

1. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा०नि० 256 (उच्च न्यायालय) का व्याख्यिक दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व रंहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पटठा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र० राज्य तथा अन्य एक 2013 रा०नि० 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पटठा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।
(2) विधि का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन- भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारण नहीं की जा सकती।
(3) भू राजस्व रंहिता, 1959(म०प्र०) धारा-50- स्वप्रेरणा रं पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया - 180 दिवस से बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०) धारा 50 - जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।

विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 21-9-99 के विरुद्ध माह जुलाई वर्ष 2003 के बाद स्वभाव निगरानी पंजीबद्व की है जिसमें 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब है एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वभाव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 के पूर्व विलम्ब के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश पारित किया है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 छृटिपूर्ण है क्योंकि मानवीय न्यायालयों के उक्त दृष्टिकोणों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के हित में ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से किया गया नामान्तरण नियमानुसार होना पाया गया है, जिसके कारण अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 19-2-04 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर पंजी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वभाव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 छृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण यथावत् रखा जाय।


(एम०क०सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश व्यालियर